

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 08.08.2019

सैक्टर-49

दिनांक 07.08.2019 को एनपीयू टीम, थाना सैक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर अभियुक्त को सैक्टर-76 मार्केट के तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक केटीएम DUKE बाईक बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र से मोटर साईकिल व अन्य वाहन चोरी कर बाहरी व्यक्तियों को सस्ते दामों पर बेच देता था।

अभियुक्तगण का विवरण :-

1. अर्णव पुत्र हरीश वर्मा नि० डीएच-50 पल्लवपुरम फेस-11 जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की एक मो०सा० केटीएम DUKE नं० डीएल 6एस एडब्लू 1304 ।

अभियोग का विवरण -

1. मु०अ०स० 024777 / 19 धारा 379 भादवि थाना पडपडगंज, पूर्वी दिल्ली।

2. मु०अ०स० 905 / 19 धारा 414 / 482 भादवि थाना सैक्टर-49 जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना फेस-2

दिनांक 08.08.2019 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा एक गांजा तस्कर अभियुक्त को याकूबपुर तिराहा सैक्टर-83 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1.100 किलोग्राम गांजा नाजायज बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

1- मनोज पुत्र माखनलाल नि० ग्राम करहारा खुर्द थाना चरखारी जिला महुआ, हाल नि० ग्राम याकूबपुर थाना फेस-2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1- 1.100 किलोग्राम गांजा नाजायज।

अभियोग का विवरण-

1- मु०अ०स० 621 / 19 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2 जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना फेस-3

दिनांक 08.08.2019 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा हत्या में वांछित अभियुक्त को मामूरा चौक से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस-3 पर पंजीकृत मु०अ०स० 242 / 19 धारा 302 / 201 भादवि में वांछित चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण-

धर्मन्द्र कुमार पुत्र वकील प्रसाद नि० ग्राम लक्ष्मीपुर थाना मोतीहारी मुफसिल पूर्वी चम्पारण बिहार।

बरामदगी का विवरण:-

1- 1.100 किलोग्राम गांजा नाजायज।

अभियोग का विवरण—

मु0अ0स0 242 / 19 धारा 302 / 201 भादवि थाना फेस-3 जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना सूरजपुर

दिनांक 08.08.2019 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर लूटेरा अभियुक्त को तिलपता चौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट में प्रयोग की जाने वाले एक अपाचे मोटर साईकिल बिना नम्बर, लूटे गये 15000 रुपये व अवैध शस्त्र बरामद किये गये है।

अभियुक्त विवरण :-

1-योगेश्वर उर्फ योगी पुत्र रामसरन नि0 ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1-लूट में प्रयोग एक मो0सा0 अपाचे बिना नम्बर।

2-लूटे गये 15000 रुपये।

5-एक अवैध चाकू।

अभियोग का विवरण -

1- मु0अ0सं0 158 / 19 धारा 392 / 411 भादवि थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

2- मु0अ0सं0 495 / 19 धारा 392 / 411 भादवि थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

3-मु0अ0सं0 1102 / 19 धारा 392 / 411 भादवि थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

4-मु0अ0सं0 1109 / 19 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

5-मु0अ0सं0 237 / 19 धारा 392 / 411 भादवि थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

6-मु0अ0सं0 294 / 19 धारा 60 / 63 / 72 आबकारी अधिनियम थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

7-मु0अ0सं0 618 / 19 धारा 2 / 3 गैगस्टर एक्ट थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

सैक्टर-58

दिनांक 07.08.2019 रात्रि 21:30 बजे थाना सैक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा 01 चोर अभियुक्त को रेडीशन तिराहे के सामने सैक्टर-57 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

अभियुक्तगण का विवरण :-

1. मोहसीन पुत्र युसुफ नि0 म0नं0 134 शब्बर की हवेली मौहल्ला गालिब नगर थाना कोतवाली रसूलपुर जिला फिरोजाबाद, हाल नि0 म0नं0 177 गली नं0-5 मामूरा सैक्टर-66 थाना फेस-3 जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मोबाईल फोन।

अभियोग का विवरण -

1.मु0अ0स0 332 / 19 धारा 379 / 414 भादवि थाना सैक्टर-58 जिला गौतमबुद्धनगर।

फर्जी पेटीएम/बैंक अधिकारी/ कर्मचारी बनकर बैंक धारको के डेबिट/क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी लेकर सैकड़ों व्यक्तियों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले 07 अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक अपराध के कुशनल नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 बलजीत सिंह व साइबर सेल टीम व थाना बिसरख पुलिस द्वारा 12/22 चौराहा नौएड़ा जनपद गौतमबुद्धनगर से दिनांक 07/08/2019 को फर्जी पेटीएम/बैंक अधिकारी/ कर्मचारी बनकर बैंक धारको के डेबिट/क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी लेकर ठगी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पैसे ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया ये लोग विगत छः माह से लगातार फर्जी पेटीएम/बैंक अधिकारी/ कर्मचारी बनकर बैंक धारको के डेबिट/क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी लेकर ठगी करते थे, जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0स0 929/2019 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट पूर्व में ही पंजीकृत है। जिसमें 07 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड व पेटीएम धारको को कॉल कर रिवाइड प्वाइंट रिडिम करने व पेटीएम में ऑफर बताकर उनसे कार्ड की गोपनीय जानकारी जैसे कार्ड नम्बर, सीवीवी व ओटीपी प्राप्त कर उनके खातों व पेटीएम वॉलेट से पैसा अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर निकाल लेते थे।

फरार अभियुक्तगण-

- 1- लाल सिंह
- 2- राजू

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता- कुल 07 नफर अभियुक्त

- 1- दीपक मिश्रा पुत्र शंभुनाथ मिश्रा निवासी बीबी-51ए थाना जनकपुरी दिल्ली
- 2- सुमित फूल पुत्र तिलकराज फूल निवासी 23/4 अशोक नगर थाना तिलकनगर दिल्ली
- 3- रवि पुत्र अर्जुन पासवान निवासी म0न0 38 बड़ा शिव मन्दिर अलीपुर दिल्ली
- 4- सन्दीप पुत्र अजय सिंह निवासी आरजेड बी- 211 निहाल विहार नांगलोई थाना मियावली दिल्ली
- 5- अभिषेक कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी डी 38ए श्याम नगर विष्णु गार्डन थाना तिलकनगर दिल्ली
- 6- अरविन्द कुमार पुत्र हरबंश कुमार निवासी म0न0 46 तृतीय तल गली न0-1 गावं+थाना- दाबड़ी दिल्ली
- 7- मोनू कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी डी 1/44 जीवन पार्क थाना उत्तम नगर दिल्ली

बरामदगी का विवरण

- 1- 15 अदद मोबाइल फोन
- 2- एक अदद लैपटॉप
- 3- 8 हजार रुपये नगद

आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0स0 929/2019 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना बिसरख नौएड़ा
- 2- मु0अ0स0 464/2019 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना सैक्टर 24 नौएड़ा
- 3- मु0अ0स0 876/2019 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना सूरजपुर नौएड़ा
- 4- मु0अ0स0 532/2019 धारा 420 भादवि थाना फेस- 2 नौएड़ा
- 5- मु0अ0स0 401/2019 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना ईकोटेक नौएड़ा